

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

पत्रांक:—

दिनांक:—

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

सेवामें,

संवेदक,
श्री रजनीश कुमार,
भुपनारायण सिंह कॉलनी, मधुबनी।

विषय:— पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 (एस0सी0) के तहत आपके द्वारा विद्यापति इंदिरा चौक से चमार टोल पथ का कार्य पूर्ण किया गया है। उक्त पथ का अनुरक्षण कार्य किया जाना है, परंतु आपके द्वारा इस पथ में अनुरक्षण कार्य ससमय नहीं किया जा रहा है। जिससे पथ की स्थिति अत्यन्त जर्जर होती जा रही है, जो एकरारनामा के SBD की कंडिका (3) का घोर उल्लंघन है।

ज्ञातव्य हो कि विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आदेशानुसार पूर्ण योजनाओं के पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं पथ में बने पुल/पुलियों के Vent की साफ-सफाई एवं अन्य कार्य 03 दिनों के अंदर पूर्ण करना है। अगर आपके द्वारा 03 दिनों के अंदर पंचवर्षीय अनुरक्षण एवं पथ के अन्य कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो आपके एकरारनामा को विखंडन करते हुए डिबार एवं निबंधन को काली सूची में डालने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,

मधु/1.5/24

कार्यपालक अभियंता

ग्रा0का0वि0, कार्यप्रमंडल, बेनीपट्टी।

ज्ञापांक.....*850*.....

दिनांक.....*31/05/24*.....

प्रतिलिपि:— अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा / मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मधु/1.5/24
31-5-24

कार्यपालक अभियंता

ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।